सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना

प्रिय लोकसूचनाधिकारी

दिनाँक : 29/07/22

ग्रेटरन नौएडा औधयोगिक विकास प्राधिकरण

ग्रेटर नौएडा गौतमबुद्धनगर

53820
29.7.22

महोदय,

सूचना आधिकार आधिनियम 2005 के तहत मैं सेक्टर ईटा -1 मे ग्रीनबेल्ट से संबंधित निम्न सूचन चाहता हूँ:-

1. भूस्वामी द्वारा अपने भूखंड के सामने स्थित ग्रीनबेल्ट के परीपेक्ष्य मे किये गये अतिरिक्त भुगतान विवरण ।
2. प्राधिकरण का कोई अधिनियम / रूल जिसके अंतर्गत सेक्टर का कोई भूस्वामी अपने भूखंड के साम स्थित ग्रीनबेल्ट मे फेन्सिंग करके अतिक्रमण कर उसमे सब्जी उगाना / पशुपालन कर सकता है ।
3. सेक्टर के ब्लॉक B, C एवं D के भूस्वामियों द्वारा अपने सामने के ग्रीनबेल्ट मे अतिक्रमण कर सब्ज उगाने / पशुपालन करने / पुराने पेड़ों को काट छाँट कर तार - बाड़ लगाने की ब्लॉक वार /नामवार बन गयी सूची का विवरण ।
4. सेक्टर मे ग्रीनबेल्ट मे तार बाड़ लगा कर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा की जा वाली दंडात्मक कार्यवाही के प्रविधान (यदि कोई हो) का विवरण ।
5. सेक्टर मे ग्रीनबेल्ट मे अतिक्रमण करने वाले भूस्वामियों के विरुद्ध अब तक की गयी कार्यवाही व विवरण ।

अंतः अनुरोध है कि उपरोक्त वांछित सूचनाए बिन्दुवार समय से मुझ आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आवेदन शुल्क के रुप मे दस रुपये का पोस्टल ऑर्डर (संख्या- 56F 485964) आवेदन पत्र के साथ संलग्न है ।

आवेदक - आर पी एस यादव ,संरक्षक RWA ईटा -1

D-60 सेक्टर ईटा -1, ग्रेटरनोएडा

गौतमबुद्धनगर- 201306

मो. 8630447953

PIO Horticulture
R.T.I.-20888
01/8/2022

भवदीय

RPyadav
27/7

(आर पी एस यादव)

PIO Horticulture

1/8/22